न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 57 / 2019
आरसीएमएस नं.:—2019 / 00057

सोनिया पुत्र बखुराम जाति सांसी निवासी कमाना तहसील व जिला हनुमानगढ।
——अपीलार्थी

बनाम

1. जग्गू पुत्र मोती जाति सांसी निवासी कमाना व खुंजा हाल आबाद नजदीक रेलवे स्टेशन तरणतारण (पंजाब)
2. रतुराम पुत्र मोती जाति सांसी निवासी रघुनाथपुरा तहसील राजियासर जिला श्रीगांगनगर
3. जीवी पुत्र मोती पत्नी सुलतान जाति सांसी निवासी रेल्वे स्टेशन के सामने झुग्गिया, तरणतारण पंजाब।
4. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ।
5. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।
6. उप पंजीयक सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
7. उप पंजीयक डबलीराठान जिला हनुमानगढ।

—— रेस्पोडेंट्स

8. बीरबल उर्फ बीबा
9. बृजलाल उर्फ बिरजिया

} पिसरान बखूराम अकवाम सांसी निवासीयान कमाना तहसील व जिला हनुमानगढ।

—तरतीबी रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 225 आरटीएक्ट
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ।
दिनांक 25.05.2017 प्र. सं. 248 / 2014
अनवान सोनियाराम आदि बनाम जग्गूराम आदि

श्री राजेश दीपराय, अभिभाषक अपीलाण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

श्री देववृत भोजक, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 4 व 5

निर्णय दिनांक 21.XI.22

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 8 व 9 ने अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि तहसील हनुमानगढ के चक नम्बर 2 पीबीएन में 15 बीघा भूमि मोती वल्द लखुराम के नाम से दर्ज कागजात माल है तथा तहसील सूरतगढ के चक नं. 4 बी.के.एस.एम. में कुल 20 बीघा भूमि नूरी पत्नी मोती, अकेली के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। चक नं. 2 पी.बी.एन. की 15 बीघा भूमि मोती की मानते हुए चक 2 डीडब्ल्यूएसएम की 20 बीघा भूमि का आवंटन कमी पूति में मृतक मोती की द्वितीय पत्नी अकेली के नाम से हुआ। चक 2 डीडब्ल्यूएसएम की भूमि बाद में 4 बी.के.एस.एम में पड़ती है। 4 बीकेएसएम की 20 बीघा भूमि हिन्दू खानदान संयुक्त परिवार की आमदनी से सरकारी किश्तें भरी जाती रही हैं। इसलिए उक्त 35 बीघा भूमि में प्रत्येक सदस्य का बहिस्सा बराबर का हक हिस्सा है व बतौर मालिक है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने अपने स्वयं के नाजायज मुफाद को देखते हुए लालचवश अन्य पांचों वारिसों के तथ्य को छुपाकर गलत वारिसान प्रमाण पत्र बनवाकर अपने नाम से 20 बीघा आराजी का इन्तकाल करवा लिया। मोती के अन्य वारिसों को हक से महरूम कर दिया है। अप्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजी को गैर कानूनी तरीके से रहन, बैय व मुन्तकिल करना चाहते हैं एवं आरजी पर बलपूर्वक काबिज होना चाहते हैं। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए प्रकरण में प्रार्थना–पत्र में वर्णितानुसार स्थगन आदेश जारी किया जावे। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रश्नगत स्थगन आदेश पारित किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र में दर्ज कब्जे की हद तक अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया। इसलिए अपीलाधीन आदेश कब्जे की हद

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

तक प्राकृतिकन्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अपीलाण्ट द्वारा चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में अपने आक्षेपित आदेश में कोई विवेचन नहीं किया है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपरिमेय क्षति के बिन्दू अपीलाण्ट के पक्षमें होना मानकर ही आक्षेपित आदेश पारित किया है। उक्त परिस्थितियों में अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना चाहिये था। अपीलाण्ट ने दस्तावेजी साक्ष्य से यह बखूबी साबित किया था कि उपरोक्त 35 बीघा जमीन कोपार्सनरी सम्पति है जिसमें मोतीराम के सभी वारिसों का हक है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वूपर्ण बिन्दु को नजरअन्दाज कर आक्षेपित आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। जिसकी अपीलाण्ट को कोई सूचना नहीं दी गई। इसलिए अपीलाट को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं हो सका। ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 2 पीबीएन की कुल 3.795 है0 भूमि मोतीराम पुत्र लखुराम की खातेदारी दर्ज है। मोतीराम का स्वर्गवास हो जाने के बाद उपरौक्त जमीन का इन्तकाल उसके लड़के जग्गूराम, रतुराम, पुत्री जीवी के नाम किया गया क्योंकि उसके यही वारिस थे और वारिसनामा के आधार पर जमाबंदी में रेस्पोडेण्टान का नाम दर्ज किया गया था। प्रार्थीयान जमीन के खातेदार हैं। खातेदार के खिलाफ कानूनन स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीयान को अभियान का नोटिस नहीं दिया गया। बिना नोटिस जारी किये ही एकतरफा तौर पर स्थगन आदेश जारी कर दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। प्रार्थीयान प्रश्नगत भूमि पर काबिज हैं। मगर अपीलाण्ट स्थगन आदेश की आड़ में कब्जा करना चाहते है। अपीलाण्ट का इस भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है। मोतीराम ने एक ही शादी नूरी के साथ की थी जिससे जग्गू, रतू व जीवी पैदा हुए तथा ये तीनों ही जमीन के उतराधिकारी हैं जबकि अपीलांट का मोती के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए अपीलाण्ट को दावा पेश करने का कोई हक नहीं है। अधीनस्थ न्यायला ने विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे साथ ही रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 22 धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायलाय का अपीलाधीन निर्णय भी खारिज किया जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र का जवाब रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर व उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ–पत्र को मद्देनजर रखते हुए अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 22 सीपीसी के साथ प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेण्ट हस्तगत अपील में दिनांक 15.05.2019 को उपस्थित आया। तामील अथवा उपस्थित होने के 30 दिवस के अन्दर अन्दर रेस्पोडेण्ट को आदेश 41 नियम 22 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था। रेस्पोडेण्ट ने अपने प्रार्थना–पत्र में कोरोना महामारी फैलने व स्वयं को अनपढ होने व कानूनी जानकारी नहीं होने का जो आधार लिया है वह विधि सम्मत नहीं है क्यों कि अपीलाण्ट ने दिनांक 15.05.2019 को अपना अधिवक्ता नियुक्त कर लिया था। दफा–5 मियाद अधिनियम के साथ शपथ–पत्र भी प्रस्तुत नही किया है। उक्त परिस्थतियों में रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम दिनांक 11.10.2022 खारिज किया जाता है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज होने के कारण रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 22 सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है।

8. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण में निस्तारण में सहायक दस्तावेज होने एवं दस्तावेजों की प्रमाणिति प्रतिलिपियां होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रस्तुत दस्तावेजात को अभिलेख पर लिया जाता है।

9. जहां तक गुणागवुण का प्रश्न है अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 व 8, 9 एक ही परिवार के सदस्य हैं। बहस में आये तथ्यों के अनुसार प्रश्नगत भूमि मोतीराम पुत्र लखुराम के नाम खातेदारी दर्ज थी। मोतीराम का स्वर्गवास होने के बाद इस भूमि का इंतकाल उसके तीन लड़के जगुराम, रतुराम व पुत्री जीवी के नाम दर्ज हो गया जो कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 हैं। अपीलाण्ट का कथन है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 ने मोतीराम के वारिसान को छुपाकर पंचायत रघुनाथपुरा तहसील सरूतगढ से झूठा एवं कूटरचित वारिसानामा हासिल कर लिया जबकि मृतक मोतीराम के कुल आठ वारिस हैं और फर्जी व कूटरचित वारिसनामा के आधार पर चक 2 पीबीएन की 15 बीघा भूमि का नामान्तरण अपने नाम दर्ज करवा लिया। अपीलाण्ट ने इस संबंध में एफआईआर नम्बर 98/2019 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसमें तीनों व्यक्तियों

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

के विरूद्ध धारा 420, 467, 468,, 471 भारतीय दण्ड संहित में माननीय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ के समक्ष चालान प्रस्तुत किया है। जिसमें माननीय न्यायालय ने उक्त धाराओं में तीनों व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप विरचित किये हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अपीलाण्ट के पक्ष में हैं। उभयपक्ष के हक अधिकारों का निर्धारण अधीनस्थ न्यायलाय में विचाराधीन वाद में तय होना है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन हैं। उभयपक्ष के हक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए एवं वाद की बहुलता को रोकने के लिए प्रकरण में स्थगन आदेश जारी किया जाना उचित है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का आदेश दिनांक 25.05.2017 को कब्जा की हद तक कोई आदेश पारित न होन की हद तक अपास्त किया जाता है एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 प्रश्गनत आराजी के राजस्व रिकार्ड की ताफैसला वाद रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा चक 2 पीबीएन के खाता सं0 120 के प. नं. 68/288 (39) किला नं. 6, पत्थर नं. 67/289 (55) किला नं. 16, 25, पत्थर नंबर 68/289 (56) किला नं. 7, 8, 13, 14 ता 20, 25 पत्थर नं. 69/289 (57) किला नं. 21 कुल 3.795 है0 अर्थात 15 बीघा आराजी व तहसील सूरतगढ के चक नं. 4 बीकेएसएम के खाता संख्या 83 पत्थर नं. 94/61 (31) किला नं. 11 ता 13, 18 ता 23 कुल 2.202 है0 पत्थर नं. 1114/5 (32) किला नं. 1 ता 4, 7 ता 10 तादादी 2.024 है0 व पत्थर नं. 94/62 (42) किला नं. 1, 2, 3 कुल 20 बीघा कुल तादादी 35 बीघा कृषि भूमि में अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 8 व 9 को उपरोक्त कृषि भूमि के संयुक्त आधिपत्य व धारण से बेदखल नहीं करें एवं ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.XI.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

21/XI/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ